न्यायालय नायब तहसीलदार उप तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं

मुकदमा नम्बर 18/2021 निर्णय दिनांक 27.08.2021

उनवान

सरकार बनाम अशोक वगै0 पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी भाटीवाड़

अन्तर्गत धारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91

आदेश

निर्णय दिनांक :– 27.08.2021

प्रकरण पटवारी पटवार हल्का भाटीवाड़ द्वारा इस आश्य का प्रस्तुत किया गया है कि ग्राम भाटीवाड़ पटवार हल्का भाटीवाड़ के भूमि ख0न0 06 रकबा 11.35 है0 किस्म गै0मु0 नदी में से 0.60 है. भूमि पर अतिक्रमी श्री अशोक, इन्द्र, योगेश पि0 रामकुमार जातिगण जाट निवासीगण भाटीवाड़ द्वारा राजकीय भूमि किस्म गै0मु0 नदी में गुवार मुंगफली की फसल कास्त कर अतिक्रमण कर रखा है। प्रकरण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 एल.आर.एक्ट. के तहत दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमियों नोटिस जारी किये गये। बावजुद तामिल नोटिस के अतिक्रमी उपस्थित नही आये।

रिपोर्ट पटवारी हल्का पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगणो द्वारा मौजा ग्राम भाटीवाड़ पटवार हल्का भाटीवाड़ के भूमि खसरा नं0 06 रकबा 11.35 है0 किस्म गै0मु0 नदी के 0.60 है0 रकबे पर अतिक्रमण अवैध होने के कारण अप्रार्थीगणो को अतिक्रमी घोषित किया जाता है। अतिक्रमण अवैध होने के पटवारी हल्का भाटीवाड़ एवं भू0अ0नि0 केड को आदेशित किया जाता है कि इस अवैध अतिक्रमित भूमि पर से अतिक्रमी को भौतिक रूप से बेदखल कर एवं अतिक्रमित रकबे पर खड़ी फसल को राजहक में कुर्क एवं निलाम कर फर्द कुर्की एवं निलामी तथा रिपोर्ट बेदखली पेश करें।

अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिए जाने के दण्ड स्वरूप सरह लगान 2.00 का 50 गुणा तावान की कुल राशि 100/– रू मात्र बतौर शास्ती जुर्माना आरोपित किये जाते हैं। पटवारी हल्का एवं तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी वसूली हेतु लिखा जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय मेरे द्वारा दिनांक 27.08.2021 को सुनाया गया।

27/8/21

(सानू आर्य)

नायब तहसीलदार, गुढागौड़जी

उप तहसीलदार
उप तहसील गुढ़ा गौड़जी